

P.M. 154
29-09-21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में लिखनी तारीख सहित
1	2	3
14.09.2021	न्यायालय उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा राज्यसात वाद सं० -5/2020-21 जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा घनाम TATA HITACHI केसरिया रंग EX 210 Lc Super Serial No. S210-55497 Engine Power-131 <u>आदेश</u> यह वाद जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 489/एम०, दिनांक 07.9.2020 द्वारा केतार थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में ग्राम पाचाडूमर थाना केतार स्थित बालूघाट से अवैध खनन एवं परिवहन में जब्त Poclain मशीन TATA HITACHI केसरिया रंग EX 210 Super Serial NO. S210-55497 के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारम्भ किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तत्पश्चात जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में उक्त जब्त पोकलेन मालिक को सूचना निर्गत किया गया। थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में उक्त जब्त Poclain मशीन TATA HITACHI केसरिया रंग EX 210 Super Serial NO. S210-55497 के	



2/16

14.

मालिक सिकंदर यादव की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में उनका कहना है कि केतार पुलिस द्वारा पोकलेन को JSMD Dump Yard से जब्त किया गया है। विपक्षी निर्दोष हैं एवं उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। विपक्षी का पोकलेन मशीन किसी अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन में संलग्न नहीं रहा है। विपक्षी के विरुद्ध यह कार्यवाही मान्य नहीं है। किसी के द्वारा Jharkhand Minor Concessions rule 2017 के अन्तर्गत लिखित शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। इस स्थिति में MM(DR) Act की धारा 22 के अनुसार न्यायालय द्वारा अपराध के संबंध में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। फलस्वरूप MM(DR) Act की धारा 21 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी एवं Subsequent Cognizence (अनुवर्ती संज्ञान) मान्य नहीं किया जा सकता। जवाब में उनका यही भी कहना है कि जब्त पोकलेन लम्बे समय से थाना के खुले परिक्षेत्र में रखा गया है। उसका देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। प्रश्नगत Poclain मशीन JSMD Dump Yard में खड़ा था एवं डंप यार्ड से Poclain मशीन को जब्त किया गया है। यहां तक कि JSMD के परियोजना पदाधिकारी द्वारा खनन पदाधिकारी को बालू भण्डारण के संबंध में रामर्षित प्रतिवेदन में JSMD के Dump Yard में बालू भण्डारण की मात्रा को अवैध प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ ही जब्त Poclain पूर्व में कभी भी बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में जब्त नहीं हुआ है। इस प्रकार यह वाद अनुमान एवं संदेह पर आधारित है।

2/

जवाब में उन्होंने कार्यवाही को गलत करार देते हुए वाद को समाप्त करने एवं जब्त पोक्लेन विपक्षी (पोक्लेन मालिक) को व्यवसायिक उपयोग हेतु सुपूर्द करने के लिए अनुरोध किया है।

जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा की ओर से दाखिल लिखित तथ्य का अवलोकन किया। दाखिल लिखित तथ्य में उनका कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता बेंच) द्वारा निर्गत आदेश संख्या OA no. 120/2016 EZ दिनांक 17.8.2016 के अनुसार 10.6.2020 से 15.10.2020 तक बालू उत्खनन के लिए रोक था, परन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त Poclain मशीन TATA HITACHI EX 210 Lc Super Serial No.S210-55497 अवैध रूप से बालू के उत्खनन में संलग्न था। उक्त अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध केतार थाना में थाना कांड संख्या 48/2020 दर्ज किया गया। केतार थाना में दर्ज कांड केवल JMMC के नियम 54 एवं MMRD Act की धारा 21 के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि भा0द0वि0 की धारा 379/411/420/120B एवं 34 के अन्तर्गत भी दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी सिकन्दर यादव के विरुद्ध JMMC में निहित नियम एवं MMRD Act का अवमानना के साथ-साथ खनिज सम्पदा की चोरी का भी मामला है। लिखित तथ्य में आगे उनका यह भी कहना है कि माईनिंग लीज में निहित शर्तों का उल्लंघन करना धारा 4 में निहित प्रावधानों का अवमानना है जो MMDR की धारा 21 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। विपक्षी द्वारा दोषमुक्त



So,

हेतु बनाया गया आधार कानून की दृष्टि में धारणीय नहीं है।

W.P(MD)NO.19936 of 2017,7595 एवं 21485 of 2018 दिनांक 28.10.2018

Muthu Vs District Collector and Other का हवाला देते हुए लिखित तथ्य में उनके द्वारा उद्धृत किया गया है कि MMDR Act की धारा 21(4) के अन्तर्गत अवैध खनन में लिप्त किसी भी वाहन, उपकरण या औजार को जब्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी में शक्ति निहित है तथा न्यायालय आदेश द्वारा उक्त पोकलेन, उपकरण, औजार या खनिज पदार्थ राज्यसात के योग्य होता है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा उक्त Poclain मशीन का हस्ताक्षर युक्त Photographs भी समर्पित किया गया है तथा अपने लिखित तथ्य में थाना कांड संख्या 48/2020 के तहत अवैध खनन में लिप्त उक्त जब्त Poclain मशीन का राज्यसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद के त्वरित निस्तार हेतु पुलिस अधीक्षक गढ़वा से केतार थाना कांड संख्या-48/2020 दिनांक 15.6.2020 के तहत दर्ज प्राथमिकी के अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। परन्तु बार-बार स्मार के बावजूद भी प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। तत्पश्चात लोक अभियोजक, जिला खनन पदाधिकारी एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी कानूनन दृष्टिकोण से निर्दोष है। विपक्षी का पोकलेन JSMDC के Dumping Yard से पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जिला खनन

पदाधिकारी, गढ़वा का लिखित तथ्य में यह कहना कि पोकलेन को अवैध रूप से बालू का परिवहन करने के क्रम में जब्त किया गया है, निराधार एवं सत्यता से परे है। जब्त पोकलेन द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं किया गया है। परियोजना पदाधिकारी, जे0एस0एम0डी0सी0 लिमिटेड बालू परियोजना, गढ़वा द्वारा बालू भंडारण यार्ड में भंडारित बालू का समर्पित मापी प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि समर्पित प्रतिवेदन में भंडारित बालू भंडार पंजी के अनुरूप बताया गया है, जिसपर खनन कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन या अवैध रूप से बालू का भंडारण नहीं किया गया है। साथ ही किसी के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं पोकलेन जब्त होने से पोकलेन मालिक को अपूर्ण क्षति हुई है। इस स्थिति में MM(DR) Act की धारा 21 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी निराधार है तथा उनके द्वारा कोई दंडनीय अपराध नहीं किया गया है। प्रस्तुत तर्क में उनके द्वारा 2009(3) JCR 261(Jhr), 2009(1) JCR 307(Jhr), 2015(3) JCR 9 (Jhr) तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से संबंधित मामले यथा मो0 राजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा राजेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला देते हुए जब्त पोकलेन को मुक्त करने तथा संस्थापित कार्रवाई को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। विपक्षी के विद्वान



अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस कांड के अभियुक्त श्री सिकंदर यादव को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के द्वारा ABA No. 5393 of 2020 में दिनांक 03.11.2020 को पारित न्यायादेश से जमानत भी मिल गया है। उक्त आदेश की प्रति उनके द्वारा समर्पित की गई है। विपक्षी की ओर से अपने दावे की पुष्टि में JSMDCL Dump Yard में भंडारित बालू का मापी प्रतिवेदन वो परियोजना पदाधिकारी जे0एस0एम0डी0सी0 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ-साथ प्रश्नगत Poclain मशीन से संबंधित बीमा का कागजात समर्पित किया गया है।

लोक अभियोजक गढ़वा की ओर से लिखित प्रत्युत्तर एवं केस दैनिकी (Case Diary) की प्रति दाखिल करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि दिनांक 10.6.2020 से 15.10.2020 तक बालू उठाव पर रोक के बावजूद भी उक्त पोकलेन द्वारा बालू उत्खनन वो उठाव का कार्य किया जाना निर्गत आदेश के विरुद्ध है। बालू उठाव पर रोक के बावजूद भी दिनांक 15.6.2020 को बालू का अवैध उत्खनन कर राजस्व की घोर क्षति की गयी है। सुनवाई के क्रम में Case Diary की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनके द्वारा कहा गया कि Poclain TATA HITACHI EX 210 Lc Super Serial No.S210-55497 अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण के बीच पाया गया जो प्रदर्शित करता है कि उक्त पोकलेन अवैध बालू के उत्खनन एवं भंडारण में संलिप्त था तथा प्रश्नगत पोकलेन के चालक एवं मालिक द्वारा जानबूझ कर



अवैध रूप से बालू का उत्खनन किया गया है। इतना ही नहीं जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा स्वयं घटना स्थल से उक्त पोकलेन को जब्त किया गया है। तर्क के क्रम में आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि Case Diary में वर्णित स्वतंत्र गवाह रमेश गुप्ता एवं बिंदु गुप्ता के उल्लेखित बयान से भी बालू के अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है। साथ ही हजारीबाग का पोकलेन मशीन जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा घटना की तिथि को घटना स्थल से बालू उत्खनन में संलिप्त स्थिति में पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में राज्यसात की कार्यवाही सर्वथा उचित एवं विधिनुकूल है। तर्क में उनके द्वारा राज्यसात की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक के सुनने के साथ साथ जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा को भी सुना गया। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा का कथन है कि दिनांक 10.6.2020 से 15.10.2020 तक बालू उत्खनन के लिए रोक रहने के बावजूद भी दिनांक 15.6.2020 को जॉच के क्रम में प्रशगत Poclain TATA HITACHI EX 210 LC Super Serial NO- S210-55497 अवैध रूप से बालू के उत्खनन को परिवहन में संलिप्त पाया गया। जॉच के समय पोकलेन बालू लोड कर रहा था। जॉच की तिथि को सोन नदी स्थित अवैध उत्खनन स्थल के पास करीब 25000 (पच्चीस हजार) घनफीट बालू पाया गया है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता का यह कथन की बालू भंडारण



संबंधी समर्पित मापी प्रतिवेदन पर खनन कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया, निराधार है। चूँकि वास्तविकता यह है कि जाँच दिनांक 15.6.2020 को किया गया है एवं परियोजना पदाधिकारी जे0एस0एम0डी0सी0 लिमिटेड द्वारा यार्ड में भंडारित बालू का सत्यापन वो मापी दिनांक 22.6.2020 को किया गया है। इस तरह विपक्षी द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए इस तथ्य को लाया जा रहा है। सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा जब्त मशीन (पोकलेन) का राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

इस प्रकार जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा राज्यसात करने संबंधी दिया गया प्रस्ताव, संलग्न प्राथमिकी की प्रति, दाखिल लिखित तथ्य, विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब एवं कागजातों के साथ-साथ विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता यो लोक अभियोजक एवं जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा को सुनने से स्पष्ट होता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता बेंच) द्वारा पारित आदेश OA no. 120/2016 EZ दिनांक 17.8.2016 तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 के आलोक में मानसून सत्र (दिनांक 10.6.2020 से 15.10.2020 तक) बालू का उठाव पूर्णतः वर्जित है। परन्तु वर्जित होने के बावजूद भी निर्गत आदेश एवं लीज शर्तों का अनदेखी कर अवैध रूप से बालू का उत्खनन एवं परिवहन करना MM(DR) एक्ट में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता



का यह कहना कि JSMDK के डंपिंग यार्ड से पोकलेन को जब्त किया गया है, परन्तु किस आधार पर पोकलेन डंपिंग यार्ड में था, विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। प्राथमिकी में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 15.6.2020 के पूर्वाह्न 3.00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर रंजित कुमार, लिपिक, जिला खनन कार्यालय गढ़वा एवं थाना प्रभारी, केंतार व अन्य पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल के साथ ग्राम पाचाडूमर थाना केंतार जिला गढ़वा स्थित सोन नदी बालू घाट पर औचक छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान बालू का उठाव वर्जित होने के बावजूद हो रहा था, जिसमें प्रयुक्त सूची संलग्न मशीन, पोकलेन एवं उस पर लदे बालू को जब्त करते हुए उनके चालकों को गिरफ्तार कर स्वस्थ हालत में आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपूर्द किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी की प्रति के साथ संलग्न जब्ती-सह-प्रस्तुती सूची एवं Case Diary के अनुसार इस वाद से संबंधित पोकलेन भी शामिल हैं। इस स्थिति में इस वाद से संबंधित पोकलेन मशीन TATA HITACHI EX 210 Lc Super Serial No.S210-55497 Engine power-131 को बालू का अवैध उत्खनन में लिप्त होने से नकारा नहीं जा सकता है। विपक्षी की ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाद से संबंधित पोकलेन मशीन जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के क्रम में जब्त किया गया है, जिसकी पुष्टि लोक अभियोजक द्वारा समर्पित Case

2

Diary एवं उनके प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्य से भी होती है।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथा
Sunder Bhai Ambalal Desai Vrs. State of Gujrat reported as 2003(1) J.C.R.-
153 के अनुसार जब्त सामग्री/पोकलेन को थाना परिसर में 60(साठ) दिनों
से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, जबकि उक्त कांड में जब्त
पोकलेन मशीन थाना परिसर में अभी भी पड़ा हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित संपूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत में इस
निष्कर्ष पर आता हूँ कि इस वाद से संबंधित पोकलेन मशीन TATA HITACHI
EX 210 Lc Super Serial No.S210-55497, जो केतार थाना कांड संख्या
48/2020 दिनांक 15.6.2020 के तहत जब्त है, को अवैध बालू उत्खनन को
परिवहन में संलिप्त रहने से नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही केतार
थाना कांड संख्या 48/2020, जिसके तहत उक्त Poclain जब्त है, से
संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय गढ़वा में भी चल रहा है। फलतः उपरोक्त
परिप्रेक्ष्य में उक्त जब्त पोकलेन मशीन को निम्न शर्तों के साथ राज्यसात से
मुक्त किया जाता है :-

1. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये जिला नज्जारत गढ़वा में जमा करेंगे जो
व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा पारित आदेश में दोषमुक्त होने की स्थिति
में ही उन्हें वापस किया जायेगा।
2. दोष सिद्ध होने की स्थिति में राशि जब्त कर ली जायेगी।



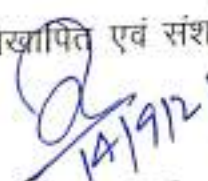
3. पोकलेन मालिक श्री सिकंदर यादव 500000.00 (पांच लाख) के Surety Bond के साथ Two Surety of like amounts (5-5 lakh) जिला नजारात, गढ़वा में दाखिल करेंगे। व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा आदेश पारित होने तक उक्त जवा पोकलेन को न तो विक्री करेंगे, न स्वरूप या रंग में परिवर्तन करेंगे और न व्यवहार न्यायालय के आदेश के बगैर अन्यत्र भेजेगें।

4. साथ ही व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा मांग किये जाने की रिथति में पोकलेन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन पोकलेन मालिक सुनिश्चित करेंगे।

उक्त वर्णित आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


14/9/21
उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।


14/9/21

उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।